कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक– 1737 / 5–1 , वाराणसी, दिनांक : नवम्बर, 03 , 2017

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण)
गेल इण्डिया लि0 पटना
बिहार
जे0एच.पी0एल0–निर्माण कार्यालय
होटल पाटलीपुत्र अशोक काम्प्लेक्स
वीरचंद पटले पथ, पटना
पिन–800001

विषयः– गेल इण्डिया लि0 (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एसपर लाइन) द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–1238/11–सी–FP/UP/other/20094/2016 दिनांक 01-11-2017

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अन्य के साथ–साथ इस कार्यालय को सम्बोधित है तथा आपको भी पृष्ठांकित है।

उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/109/105/2016/एफ0सी0/553 दिनांक 20.03.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1945/11–सी– FP/UP/other/20094/2016 दिनांक 21-03-2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको भी पृष्ठांकित है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 20.03.2017 द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति 08 शर्तो के अधीन प्रदान की गई है, जिसमें वाराणसी वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.148 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं प्रभावित 05 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी सम्मिलित है। वाराणसी वन प्रभाग से सम्बन्धित शर्तो की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायें ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त वन प्रभागों में प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र 0.4828 हे0 के दो गुने अवनत वन भूमि अर्थात 0.9656 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुसार Compensatry Afforestation Found में e-Payment Portel के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा करके आनलाइन ई–रसीद मूल में प्रस्तुत किया जाय। क्षतिपूरक वृक्षारोपण काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा कराया जायेगा।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वाराणसी वन प्रभाग से सम्बन्धित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 0.1480 हे0 x 626000 प्रति हे0 = 92648.00 (रू0 बानवे हजार छः सौ अड़तालीस मात्र) की धनराशि ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा ही जमा किया जायेगा।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण व एन0पी0वी0 मद की धनराशि Compensatry Afforestation Found में e-Payment Portel द्वारा जमा करके ई–रसीद की मूल प्रति उपलब्ध करायी जाय।

वाराणसी वन प्रभाग से सम्बन्धित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 92,648.00 (रू0 बानवे हजार छः सौ अड़तालीस मात्र) नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ से सत्यापन के उपरान्त ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा करके जमा की गयी धनराशि का विवरण एवं भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 20.03.2017 में दिये गये समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(मूलचन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संख्या– 1737 /सम दिनांकित ।

प्रतिलपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के शर्तो के अनुपालन में अपेक्षित धनराशि जमा होने व अनुपालन सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध होते ही अनुपालन सूचना प्रेषित की जायेगी।

(मूलचन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : [illegible] /37, ,रामनगर दिनांक नवम्बर [illegible], 2017

सेवा में

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), लखनऊ.
गेल इण्डिया लिमिटेड,
लखनऊ निर्माण कार्यालय, आर0सी0एफ0 बिल्डिंग,
टी0सी0/10वी0, विभूमि खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–226010।

विषय : गेल इण्डिया लि0 (जगदीशपुर–हल्दिया एण्ड स्पर लाइन) द्वारा 18 इंच व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : 1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/09/105/2016/एफ0सी0/553, दिनांक–20.03.2017,
2) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1945/11–सी0–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/20094/2016, दिनांक–21.03.2017 एवं पत्रांक–1238/11–सी0–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/20094/2016, दिनांक–01.11.2017।

महोदय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में पत्र में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के अन्तर्गत 0.032 हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी सम्मिलित है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–4101/29–1, दिनांक–30.03.2017 द्वारा विषयगत प्रकरण में वांछित धनराशि आपके द्वारा ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से नहीं जमा किया गया है, जिस कारण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इस वन प्रभाग से सम्बन्धित शर्तों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायें जिससे विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त वन प्रभागों में प्रभावित होने वाले संरक्षित वन क्षेत्र कुल 0.4828 हे0 के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 0.9656 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0 1,55,500.00 (एक लाख पचपन हजार पाँच सौ रुपये) वन विभाग के पक्ष में **ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) संख्या–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3–2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी से सम्बन्धित शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.032 हे0×8.03=0.25696 अथवा मु0 25,700.00 (पच्चीस हजार सात सौ रुपये) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में ई–पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों की ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की

क्रमशः 2

Scanned by CamScanner

गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जायेगी।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में विधिवत स्वीकृत जारी होने के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा एवं वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक सीमा स्तम्भ के आगे फारवर्ड एवं पीछे बैकवर्ड, उनकी दिशा बियरिंग भी लिखनी होगी।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।

5. शर्त संख्या–5 की अनुपालन में गैस पाइन लाइन बिछाने में ट्रेंच द्वारा खुदाई 1.00×1.00 मी0 में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में भी लागू सभी नियम–कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन करेंगी।

8. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा।

महोदय,

(गोपाल ओझा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 2128 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, गोरखपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ एवं वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गोपाल ओझा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़।
पत्रांक– 1054 /14-1 दिनांक आजमगढ़ नवम्बर 9 /2017

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण)
गैल (इण्डिया) लिमिटेड,
लखनऊ निर्माण कार्यालय,
आर0सी0एफ0 बिल्डिंग, टी0सी0/10वी0
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010,

विषयः– गेल इण्डिया लि0, (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एसपर लाइन) द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 व प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल, भारत सरकार का पत्रांक सं0 8बी/यू0पी0/09/105//2016/एफ0सी0/553 दिनांक 20.03.2017।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठाकंन सं0 1238/11–सी–FP/UP/Others/20094/2016 दिनांक 01.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र सं0–2 (छायाप्रति संलग्न)का अवलोकन करें, उक्त पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की आवश्यक धनराशि एड–हॉक कैम्पा में जमा करने हेतु दिये गये मांग पत्र में खाता सं0 गलत अंकित किया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराया जाता है।

पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रश्नगत (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एसपर लाइन)द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत 0.460 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निम्न प्रकार वांछित धनराशि व वचनबद्धता उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. शर्तसंख्या 1–इस आशय की वचनबद्धद्धता कि कुल प्रभावित वनभूमि 0.4828 हे0 के दोगुने 0.9656 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों पक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत प्राकलन के अनुसार नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
2. शर्तसंख्या 2क– माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये सत्यापन के उपरान्त, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
3. शर्तसंख्या 2ख– इस आशय की वचनबद्धता कि इसके अतिरिक्त आनलाईन के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई– रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक हेतु जमा धनराशि दिया गया हो) प्रेषित की जायेगी।

कसं0	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रू0में)
1	2	3	4
1	शर्त सख्या–2 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.0460 हे0 का शुद्व वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V) शुद्व वर्तमान मूल्य	28800
		योग–	28800

Arun- s/c -November . 2017-18

Scanned by CamScanner

4. शर्तसंख्या 2ग– इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर क्षरा) कि यदि एन0पी0वी0 के दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।
5. शर्तसंख्या 3– इस आशय की वचनबद्धता कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर यिा जायेगा । अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगी प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पिछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
6. शर्त संख्या 4– इस आश्य की वचनबद्धता कि गैस पाइप लाइन डालने हेतु खुदान के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।
7. शर्त संख्या 5– इस आशय की वचनबद्धता कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टेन्च द्वारा खुदाई 1.0× 1.0 मी0 में ही की जायेगी एवं प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।
8. शर्त संख्या 6– इस आशय की वचनबद्धता कि प्रस्तावित योजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।
9. शर्त संख्या 7– इस आशय की वचनबद्धता कि राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

संलग्नक–उपोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0एन0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़।

संख्या ____/____ दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न उक्त के कम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक दिनांक 01.11.2017 के कम में।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।

(एस0एन0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़।

Arun- a/c -November . 2017-18

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 2289 /2-6 दिनांक, गोरखपुर, नवम्बर, 9 /2017

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण)
गेल इण्डिया लिमिटेड,
लखनऊ निर्माण कार्यालय, आर0सी0एफ0 बिल्डिंग,
टी0सी0/10वीं0, विभूतिखण्ड गोमती नगर
लखनऊ–226010

विषय : गेल इण्डिया लिमिटेड (जगदीशपुर–हल्दिया एण्ड एस्पर लाइन) द्वारा 18 इंच व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी, वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : 1– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/105/2016/एफ0सी01/553 दिनांक 20.03.2017

2– मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पृष्ठांकन सं0 1238/11–सी–एफ0पी0 यू0पी0 अदर्स/20094/2016 दिनांक 01.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र सं0 2 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की आवश्यक धनराशि एड–हॉक कैम्पा में जमा करने हेतु दिये गये मांग स्वीकृति पत्र में खाता संख्या गलत अंकित किया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई चालान द्वारा जमा कराया जाता है।

पार्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रश्नगत (जगदीशपुर–हल्दिया एण्ड एस्पर लाइन) द्वारा 18 इंच व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी, वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत 0.1540 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निम्न प्रकार वांछित धनराशि व वचनबद्धता उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. **शर्त सं0 1** :–इस आशय की वचनबद्धता कि कुल प्रभावित वन भूमि 0.4828 हे0 के दोगुने 0.9656 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई चालान द्वारा जमा की जायेगी।
2. **शर्त सं 2क** :–के अनुपलन में मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3–2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार गोरखपुर वन प्रभाग से सम्बन्धित 0.1540 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) 0.1540x 8,03,000.00 = 1,23,662.00 की निर्धारित धनराशि नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ई पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई चालान द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त सं 2ख :–इस आशय की वचनबद्धता कि इसके अतिरिक्त आन लाइन के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जायेगी।

शर्त सं 2ग :–इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि एन0पी0वी0 के दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. **शर्त सं 3** :–के अनुपालन में इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र के प्रत्येक स्तम्भ के आग (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
4. **शर्त सं0 4** :–इस आशय की वचनबद्धता कि गैस पाइप लाइन डालने हेतु खुदान के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी प्रकार से भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।
5. **शर्त सं0 5** :–इस आशय की वचनबद्धता कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रेच द्वारा खुदाई 1.0×1.0 मी0 में ही की जायेगी, तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।
6. **शर्त सं0 6** :–इस आशय की वचनबद्धता कि प्रस्तावित योजन में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जडों को नुकसान नही पंहुचाया जायेगा। खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।
7. **शर्त सं0 7** :–इस आशय की वचनबद्धता कि राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः कृपया भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो का अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 1238/11–सी–एफ0पी0 यू0पी0 अदर्स/20094/2016 दिनांक 01.11.2017 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी।

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पत्रांक [illegible] / [illegible] दिनांक जौनपुर नवम्बर, [illegible] 2017

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण),
गेल (इण्डिया) लिमिटेड,
लखनऊ निर्माण कार्यालय,
आर.सी.एफ. बिल्डिंग, टी0सी0 / 10वी0,
विभूति खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010,

विषयः– गेल इंण्डिया लि0, (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एसपर लाइन) द्वारा 18'' व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़, एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4826 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 व प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक सं0 8बी / यू0पी0 / 09 / 105 / 2016 / एफ0सी0 / 553 दिनांक 20.03.2017।
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठाकंन सं0 1238 / 11–सी–FP/UP/Others/20094/2016 दिनांक 01.11.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र पत्र सं0–2 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, उक्त पत्र के अनुपालन मे अवगत कराना है कि शुद्ध वर्तमान मुल्य की आवश्यक धनराशि एड–हॉक कैम्पा में जमा करने हेतु दिये गये मांग पत्र में खाता सं0 गलत अंकित किया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तो के साथ प्रश्नगत (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एसपर लाइन) द्वारा 18'' व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ, एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4826 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में जनपद जौनपुर के अन्तर्गत 0.0778 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निम्न प्रकार वांछित धनराशि व बचनबद्धता उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. **शर्त संख्या 1–** इस आशय की वचनबद्धता कि कुल प्रभावित वनभूमि 0.4828 हे0 के दोगुने 0.9656 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत प्राकलन के अनुसार नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा द्वारा जमा की जायेगी।
2. **शर्त संख्या 2क–** माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्ग आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि निम्न प्रकार नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
3. **शर्त संख्या 2ख–** इस आशय की वचनबद्धता कि इसके अतिरिक्त आनलाईन के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जायेगी।

क्रम सं0	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रू0में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.0778 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	48,703.00
		योग–	48,703.00

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
पत्रांक 1912 / 15 दिनांक, इलाहाबाद, नवम्बर, 03, 2017।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण),
गैल इण्डिया लिमिटेड,
आर0सी0एफ0 बिल्डिंग,
टी0सी0/10वी विभूतिखण्ड गोमती नगर,
लखनऊ–226010

विषयः– गेल इण्डिया लिमिटेड (जगदीशपुर–हल्दिया एवं एसपर लाइन) द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद ,जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव के सम्बंध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1238/11–सी–FP/UP/Other/20094/2016, दिनांक 01–11–2017 भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक–8B/UP/09/105/2016/FC/553, दिनांक 20–03–2017 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–3704/15, दिनांक 31.03.2017।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) क्षेत्र द्वारा उक्त पत्र के माध्यम् से गेल इण्डिया लिमिटेड (जगदीशपुर–हल्दिया एवं एसपर लाइन) द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0.4828 हे0 संरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के अनुपालन में सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–3704/15, दिनांक 31.03.2017 द्वारा माँग पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1238/11–सी–FP/UP/Other/20094/2016, दिनांक 01–11–2017 द्वारा आंशिक संशोधन हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। संशोधित माँग पत्र निम्न प्रकार प्रेषित है:–ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके:–

1– शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में परियोजना सें प्रभावित 0.4828हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने अर्थात 0.9656 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्लन के अनुसार ई–पेमेण्ट आनलाइन पोर्टल के माध्यम् से जमा की जायेगी। क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण समेकित रूप से काशी वन्य जीव प्रभाग, राम नगर में किया जाना है।

2– शर्त संख्या–2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 0.025 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (0.025X8,26,000.00=15,650.00) की आवश्यक धनराशि रू0 15,650.00 होगी, जिसे Compensetory Afforestation Fund में ई–पेमेण्ट आनलाइन पोर्टल के माध्यम् से जमा की जायेगी।

(ख)– इसके उपरान्त आनलाइन पोर्टल के माध्यम् से जमा की गयी धनराशि की आनलाइन की रसीद की छायाप्रति जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण अलग–अलग अंकित हो प्रेषित करने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(ग)– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम् स्तर द्वारा) प्रस्तुत करना होगा कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– अन्तिम स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी।

4– गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा।

5– गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 1X1 मीटर में ही की जायेगा तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।

6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकशान नही पहुँचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।

7– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तो की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या उपलब्ध कराने के बाद ही प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0व0प्रभाग,इलाहाबाद।

पत्रांक /समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, उ0प्र0 इलाहाबाद को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0व0प्रभाग,इलाहाबाद।